प्रेस सूचना ब्यूरो
भारत सरकार
नागरिक उड्डयन मंत्रालय

21-अक्टूबर -2016 16:45 IST

Ude Desh Ka Aam Naagrik: नागरिक उड्डयन मंत्रालय की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना "UDAN" आज लॉन्च हुई

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने छोटे शहर के आम आदमी के लिए उड़ान भरने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया। नागरिक उड्डयन मंत्री श्री पी। अशोक गजपति राजू ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की बहुप्रतीक्षित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना "UDAN" का शुभारंभ किया। क्षेत्रीय विमानन बाजार को विकसित करने के लिए UDAN एक अभिनव योजना है। यह एक बाजार-आधारित तंत्र है जिसमें एयरलाइंस सीट सब्सिडी के लिए बोली लगाती हैं। वैश्विक स्तर पर यह अपनी तरह की पहली योजना क्षेत्रीय मार्गों पर किफायती लेकिन आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक उड़ानें बनाएगी ताकि छोटे शहरों में भी आम आदमी के लिए उड़ान सस्ती हो जाए।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री राजू ने उम्मीद जताई कि इस योजना के तहत पहली उड़ान अगले साल जनवरी तक उड़ान भरने में सक्षम होगी। उन्होंने कहा कि योजना बहुत सारे हितधारक परामर्श के बाद तैयार की गई थी और इसे सफल बनाने के लिए सभी खिलाड़ियों से समर्थन का आह्वान किया।

साथ ही इस अवसर पर बोलते हुए नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य **"उड़े देश का आम नागरीक" था।**उन्होंने कहा कि यह योजना किफायती, कनेक्टिविटी, विकास और विकास सुनिश्चित करती है। यह सभी हितधारकों के लिए एक जीत-जीत की स्थिति प्रदान करेगा - नागरिकों को सामर्थ्य, कनेक्टिविटी और अधिक नौकरियों का लाभ मिलेगा। केंद्र क्षेत्रीय हवाई संपर्क और बाजार का विस्तार करने में सक्षम होगा। राज्य सरकारें दूरस्थ क्षेत्रों के विकास, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने और अधिक पर्यटन विस्तार का लाभ उठाएंगी। अवलंबी एयरलाइनों के लिए नए मार्गों और अधिक यात्रियों का वादा था जबकि एयरलाइंस और स्टार्ट-अप के लिए नए, स्केलेबल व्यवसाय का अवसर है। हवाई अड्डे के संचालक भी मूल उपकरण निर्माताओं के रूप में अपने व्यवसाय का विस्तार देखेंगे।

UDAN योजना में मौजूदा हवाई-पट्टियों और हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के गैर-सेवारत और कम-सेवा वाले हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह योजना 10 वर्ष की अवधि के लिए होगी।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए UDAN के पास एक अद्वितीय बाजार-आधारित मॉडल है। इच्छुक एयरलाइन और हेलिकॉप्टर ऑपरेटर कार्यान्वयन एजेंसी को प्रस्ताव सौंपकर गैर-जुड़े मार्गों पर परिचालन शुरू कर सकते हैं। ऑपरेटर विभिन्न रियायतें प्राप्त करने के अलावा एक व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) की तलाश कर सकते हैं। इस तरह के सभी मार्ग प्रस्तावों को तब रिवर्स बिडिंग मैकेनिज्म के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली के लिए पेश किया जाएगा और प्रति प्रतिभागी को सबसे कम वीजीएफ प्रति सीट पर उद्धृत किया जाएगा। मूल प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले ऑपरेटर के पास सबसे कम बोली मिलान करने पर पहली बोली का अधिकार होगा, यदि उसकी मूल बोली सबसे कम बोली के 10% के भीतर है। सफल बोली लगाने वाले को तीन साल की अवधि के लिए मार्ग संचालित करने के लिए विशेष अधिकार होंगे। इस तरह का समर्थन तीन साल की अवधि के बाद वापस ले लिया जाएगा, उस समय तक,

चयनित एयरलाइन ऑपरेटर को तय विंग विमानों के माध्यम से संचालन के लिए UDAN उड़ानों पर न्यूनतम 9 और

अधिकतम 40 UDAN सीटें (रियायती दर) प्रदान करनी होगी और संचालन के लिए उड़ानों में न्यूनतम 13 सीटें और अधिकतम 13 सीटें हेलीकाप्टरों। ऐसे प्रत्येक मार्ग पर, न्यूनतम आवृत्ति तीन और अधिकतम सात प्रस्थान प्रति सप्ताह होगी। विमान के पैमाने और इष्टतम उपयोग की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए योजना के तहत रूट नेटवर्क को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

लगभग एक घंटे की यात्रा का किराया। फिक्स्ड विंग विमान पर 500 किमी या हेलीकाप्टर पर 30 मिनट की यात्रा के लिए अब रु। 2,500, अलग-अलग चरण लंबाई / उड़ान अवधि के मार्गों के लिए आनुपातिक मूल्य निर्धारण के साथ।

यह केंद्र और राज्य सरकारों और हवाईअड्डों के संचालकों से रियायत के रूप में (1) एक वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा और (2) इस तरह के हवाई अड्डों से संचालन को किक-ऑफ करने के लिए इच्छुक एयरलाइनों को एक विएबिलिटी गैप फंडिंग ताकि यात्री किराए में वृद्धि हो। सस्ती रखी।

• केंद्र सरकार कम उत्पाद शुल्क, सेवा कर, गैर- RCS (UDAN) सीटों के लिए ASKM को व्यापार करने की अनुमति और RCS (UDAN) हवाई अड्डों पर कोड साझा करने के लचीलेपन के रूप में रियायतें प्रदान करेगी।

• राज्य सरकारों को एटीएफ पर 1% या उससे कम वैट कम करना होगा, इसके अलावा सुरक्षा और आग से मुक्त सेवाएं प्रदान करना और बिजली, पानी और अन्य उपयोगिताओं को रियायती दरों पर देना होगा।

• हवाई अड्डा संचालक रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क पर छूट के अलावा लैंडिंग और पार्किंग शुल्क और टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क नहीं लगाएंगे।

योजना के तहत व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी फंड बनाया जाएगा। प्रति प्रस्थान RCF लेवी को कुछ घरेलू उड़ानों पर लागू किया जाएगा।

भागीदार राज्य सरकारें (उत्तर पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा जहां योगदान 10% होगा) इस फंड में 20% की हिस्सेदारी का योगदान करेगी। संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए, इस योजना के तहत आवंटन देश के पाँच भौगोलिक क्षेत्रों में समान रूप से फैले होंगे। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर-पूर्व।

योजना के तहत राज्यों की अहम भूमिका है। उन हवाई अड्डों का चयन जहां राज्य सरकार के परामर्श से और उनकी रियायतों की पुष्टि के बाद UDAN संचालन शुरू किया जाएगा। यह याद किया जा सकता है कि बेकार हवाई अड्डों के पुनरुद्धार और संयुक्त राष्ट्र के गैर-सेवारत हवाई अड्डों पर परिचालन शुरू करना ज्यादातर राज्यों की लंबे समय से चली आ रही मांग है और इसे काफी हद तक UDAN के माध्यम से संबोधित किया जाएगा।

यूडैन पर्यटन और रोजगार सृजन के लिए एक बहुत बड़ी जगह है। हेलीकॉप्टरों और छोटे विमानों की शुरूआत के माध्यम से, यह दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ द्वीपों और देश के अन्य क्षेत्रों में यात्रा समय को काफी कम करने की संभावना है।

****

यूएम / एन पी / एमएस